आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–18 / 2023	
19.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा का कहना है कि उन्हें जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार परिवादी को राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण रजिस्टर में दर्ज है। जबकि परिवादी का कहना है कि उन्हें सभी बकाया अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, और दो माह का राशन अभी भी बकाया है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे शिकायतकर्ता को बकाया अनाज उपलब्ध करायें एवं यदि उन्हें सभी बकाया अनाज उपलब्ध करा दिया गया है, तो प्रमाण आयोग कों भेजें। अगली सुनवाई तक आयोग के आदेश के अनुपालन का प्रमाण भेजें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–16.05.2023 को रखें। Sd/- (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx59	